निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर
89 / 2025

तारीख रजू
11.09.2025

तारीख निर्णय
23.01.2026

शिवलहरी पुत्र सुगन, जाट निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर —वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल शर्मा, ब्राह्मण निवासी वजीरपुर
2. कैलाश पुत्र बाबूलाल शर्मा, ब्राह्मण निवासी वजीरपुर
3. गौरीशंकर शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा, ब्राह्मण निवासी वजीरपुर
4. महेश पुत्र बाबूलाल शर्मा, ब्राह्मण निवासी वजीरपुर
5. रामअवतार पुत्र बाबूलाल शर्मा, ब्राह्मण निवासी वजीरपुर
6. दुलारी पत्नि बाबूलाल, ब्राह्मण निवासी वजीरपुर
7. ब्रह्मा देवी पुत्री मुकुट पत्नि सुरेन्द्र कुमार शर्मा, ब्राह्मण निवासी वजीरपुर हाल निवासी महारिया तहसील लालसोट
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर —प्रतिवादीगण

दावा बाबत् भूमि विभाजन

उपस्थित :— श्री सतीश चन्द शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0नं0 1907 रकबा 2.51 है0 ग्राम वजीरपुर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की सहखातेदारी की भूमि है। भूमि ख0नं0 1907 का वादी एवं प्रतिवादीगण ने मौखिक रूप से भूमि का विभाजन कर रखा है। दिनांक 1.9.2025 को वादी ने प्रतिवादीगण को तहसील में चल कर भूमि का विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने विभाजन करवाने की कोई स्पष्ट मंशा जाहिर नहीं की। इसलिए भूमि विभाजन का दावा श्रीमान्जी के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0नं0 1907 रकबा 2.51 है0 ग्राम वजीरपुर का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने जबाब में वादी के दावे को स्वीकार किया है एवं वादी का दावा डिक्री किए जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने जमाबंदी सम्वत् 2076—2079 खाता संख्या 968 ग्राम वजीरपुर प्रस्तुत की है।

जवाब के समर्थन में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना जाकर वादी की वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:32:32 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

शिवलहरी बनाम ओमप्रकाश वगैरा, दावा

दिनांक 9.10.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार वजीरपुर से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार वजीरपुर के पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/1382 दिनांक 11.12.2025 के साथ विभाजन स्कीम प्राप्त हुई।

विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण तहसीलदार वजीरपुर के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किए जाने पर सहमत हैं। फलस्वरूप तहसीलदार वजीरपुर के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0न0 1907 रकबा 2.51 है0 ग्राम वजीरपुर का पक्षकारों के मध्य निम्नप्रकार विभाजन किया जाता है–

1. शिवलहरी पुत्र सुगन जाति जाट निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 1907/1 रकबा 1.2550 है0 ग्राम वजीरपुर रहेगी।

2. ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/12, कैलाश पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/12, गौरीशंकर शर्मा पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/12, दुलारी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 1/12, महेश पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/12, रामअवतार पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/12, ब्रह्मा देवी पुत्री मुकुट हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा0देह खातेदार की खातेदारी में भूमि ख0नं0 1907/2 रकबा 1.2550 है0 ग्राम वजीरपुर रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावे, पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख तथा नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधारानी मीना)
उपजिला कलक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:32:32 IST
Reason: SelfAttested

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

उनवान

शिवलहरी पुत्र सुगन, जाट निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर ——वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल शर्मा, ब्राह्मण निवासी वजीरपुर
2. कैलाश पुत्र बाबूलाल शर्मा, ब्राह्मण निवासी वजीरपुर
3. गौरीशंकर शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा, ब्राह्मण निवासी वजीरपुर
4. महेश पुत्र बाबूलाल शर्मा, ब्राह्मण निवासी वजीरपुर
5. रामअवतार पुत्र बाबूलाल शर्मा, ब्राह्मण निवासी वजीरपुर
6. दुलारी पत्नि बाबूलाल, ब्राह्मण निवासी वजीरपुर
7. ब्रह्मा देवी पुत्री मुकुट पत्नि सुरेन्द्र कुमार शर्मा, ब्राह्मण निवासी वजीरपुर हाल निवासी महारिया तहसील लालसोट
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् भूमि विभाजन

मुकदमा नं. — 89/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश चन्द शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री संजय कुमार शर्मा एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0न0 1907 रकबा 2.51 है0 ग्राम वजीरपुर का पक्षकारों के मध्य निम्नप्रकार विभाजन किया जाता है—

1. शिवलहरी पुत्र सुगन जाति जाट निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 1907/1 रकबा 1.2550 है0 ग्राम वजीरपुर रहेगी।

2. ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/12, कैलाश पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/12, गौरीशंकर शर्मा पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/12, दुलारी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 1/12, महेश पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/12, रामअवतार पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/12, ब्रह्मा देवी पुत्री मुकुट हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा0देह खातेदार की खातेदारी में भूमि ख0नं0 1907/2 रकबा 1.2550 है0 ग्राम वजीरपुर रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 16:32:52 IST
Reason: SelfAttested

इसी अनुसार पक्षकारान को [illegible] पृथक खातेदारी दर्ज की जावे, पृथक पृथक लगान दर्ज किया [illegible] एवं राजस्व अभिलेख तथा नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती [illegible] जावे। विभाजन स्कीम निर्णय

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

शिवलहरी बनाम ओमप्रकाश वगैरा, दावा का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक २१.[illegible].१८ को जारी किया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 16:32:32 IST
Reason: SelfAttested